

तारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियत्य जज

30/3/22 पत्रावली आज पेश हुई। S.D.O. साहब  
अन्य कार्यों में व्यस्त होने से पत्रावली  
दिनांक 19/3/22 को पेश हो।

19/5/22 - वकूलापत्र जारी किए गए।  
पत्रावली दि. 5.5.22 के जवाब  
में दि. 1.6.2022 को प्रेषित  
हो।

(नरेश प्रीती)  
सहायक कलेक्टर  
(S.D.O.) बालोतरा

1-8-22 - वकूलापत्र जारी किए गए।  
पत्रावली दि. 31.7.22 के जवाब  
में दि. 13/8/22 को प्रेषित हो।

(नरेश प्रीती)  
सहायक कलेक्टर  
(S.D.O.) बालोतरा


13-6-22 पत्रावली आज पेश हुई। S.D.O. साहब  
अन्य कार्यों में व्यस्त होने से पत्रावली  
दिनांक 22.7.22 को पेश हो।

22/7/22 पत्रावली आज पेश हुई। S.D.O. साहब।  
अन्य कार्यों में व्यस्त होने से पत्रावली  
दिनांक 7/9/22 को पेश हो।

07/9/22 वकील कार्यालय उपस्थित। विपरीत  
कार्रवाई 1 व 2 के वकील उपस्थित।

(S.D.O.) बालोतरा

जमीन मियागी जवाब पेश करने के  
 अन्तर्गत यह रहे हैं, जो मुझे  
 फर्माते अन्तर्गत दिष्ट या चुके हैं।  
 मियागी मियागी जवाब कन्ड दिष्ट जा  
 है। अन्तर्गत को बहाना चुने गइ और  
 बहाना पर गन्त दिष्ट तथा जवाबनी  
 का अन्तर्गत किया। मियागी पादा कि  
 वकी। जमीनी की ओर विवादित छपि  
 में अन्तर्गत 49 हिले के अन्तर्गत 47  
 49 हिले स्वामिनी घोषणा व बाद  
 अन्तर्गत को मुख्य अन्तर्गत जाही  
 है, जो मुख्यवाद में काश्त (नष्ट) के  
 के अन्तर्गत पर लप होगा, कि  
 वकी। जमीनी दाएत मुक्त करने का  
 अन्तर्गत है अन्तर्गत नहीं। लेकिन यह  
 तो लप है, कि विवादित छपि का  
 जमीनी 49 हिले अन्तर्गत है और  
 जमीनी की मुख्य मंग विद्यापी लप  
 01 व 2 ले जाही गइ है। यदि  
 पोरने विचारण वाद, विद्यापी पर  
 इस विवादित छपि का अन्तर्गत  
 कर दिष्ट जाता है अन्तर्गत लप  
 के कलजा - काश्त में अन्तर्गत  
 को जाती है, तो जमीनी को अन्तर्गत  
 होने की संभावना बढ़ती है और  
 पदकारण के अन्तर्गत आपसी विवाद को

  
 सहायक क्लर्क  
 (S.D.O.) बालोतरा


अन्तर्गत  
 की मियागी

आर कठने की संभारना प्रकृत रहेगी।  
तथा कारनी चेप्रीदीगीपा की कदेगी।  
ऐली खरत में स्वयंजन कादेश जारी  
किना प्याना न्यायनित प्रतीत होता है।

सिखाया जारी का आदेश - पत्र शक्ति  
रूप ले स्वीकार किना जारी के पत्र  
विधानी संख्या 01 व 2 के विकट  
इत आदेश का लक्षण कादेश मुद्रा 15  
के निर्णय तक जारी किना जारी है  
कि ग्राम चंडली का काश तहलील -  
पचपदरा की रतत खरतल नया  
15 व 24 शक्ति के संभव है इतना  
नही करें उक्त जारी के कलमे काश  
के' दस्तावेज जारी न करें।

आदेश सुगया गया।

ज्यावमी केसम अज्ञान अथवा दालील  
कफतर से।

  
सहायक कलेक्टर  
(S.D.O.) बालोतरा